

भाग IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

प्रस्ताव सं०- 41408/2019

17	टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचानात्मक टिप्पणी दी जाय)	CCF/FD कुधवा टाइगर रिजर्वकी संस्तुति के आधार पर स्वीकृतार्थ संस्तुति की जाती है।
----	---	---

18

Anupam Gupta
Chief Conservator of Forest/Nodal Officer
Forest Conservation Act. 1980
U.P. Lucknow

दिनांक:- 6/7/22
स्थान

हस्ताक्षर
नाम
सरकारी मोहर